Indian J. Soc. & Pol. 07 (01):85-92:2020 **ISSN: 2348-0084(P)**
ISSN: 2455-2127(O)

जनपद बलिया (उ0प्र0) के तटीय प्रवाह में परिवर्तन व सीमा विवाद

आलोक कुमार श्रीवास्तव[1]

[1]प्रवक्ता (भूगोल) अखण्डानन्द जनता इण्टर कालेज, गरौठा,झाँसी, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

जनपद बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के निचले गंगा–घाघरा द्वाबा में 25° 33′ 22″ उत्तरी अक्षांश से 26° 11′29″ उत्तरी अक्षांश एवं 83° 40′ 48″ पूर्वी देशान्तर से 84° 38′ 16″ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इसका सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 3168 वर्ग किमी0 तथा प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2992.66 वर्ग किमी0 है। इसका स्वरूप त्रिभुजाकार है जिसका आधार पश्चिम में एवं शीर्ष पूर्व में है। पूर्व–पश्चिम में इसकी अधिकतम लम्बाई 106 किमी0 एवं उत्तर–दक्षिण अधिकतम चौड़ाई पश्चिम में 62 किमी है। इसके उत्तरी–पूर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी भाग पर बिहार राज्य के क्रमशः सिवान, छपरा, भोजपुर तथा बक्सर जनपदों की सीमाये मिलती हैं। इसके दक्षिणी –पश्चिमी, पश्चिमी तथा उत्तरी सीमाओं पर क्रमशः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, मऊ, तथा देवरिया जनपद स्थित हैं। इसकी उत्तरी सीमा पर घाघरा तथा दक्षिणी सीमा पर गंगा नदी प्रवाहित होती है। इन नदियों के कारण जनपद की सीमा रेखा अत्यन्त टेढ़ी–मेढ़ी हो गयी है क्योंकि सीमांकन प्रायः नदियों की धारा के आधार पर ही हुआ है। नदी मार्ग में सदैव परिवर्तन होता रहता है, जिससे गंगा तथा घाघरा के बिहार तटवर्ती क्षेत्रों में सदैव सीमा विवाद की स्थिति बनी रहती है।

KEYWORDS: *बलिया, सीमांकन, सीमा विवाद, दोआब, गंगा, घाघरा*

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत प्रक्षेपित हैं–

1. जनपद बलिया में तटीय प्रवाह परिवर्तन की व्याख्या करना।
2. बलिया जनपद व विहार प्रान्त के मध्य सीमा विवाद का विश्लेषण करना।
3. जनपद बलिया में धारा परिवर्तन व सीमा विवाद में सम्बन्ध ज्ञात करना।
4. सीमा विवाद के समाधान के उपाय प्रस्तावित करना।

परिकल्पनाएं

1. नदियों के तटीय प्रवाह परिवर्तन एवं सीमा विवाद मे घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।
2. कर्मचारियों, अधिकारियों, सरकारों की उदासीनता एवं आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ का दृष्टिकोण सीमा विवाद को प्रोत्साहित करता है।

विधि तन्त्र

अध्ययन में ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक विधितन्त्रों का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। तथ्यों का संकलन रिपोर्टो, अभिलेखों, साहित्यों तथा व्यक्तिगत निरीक्षणों के आधार पर किया गया है।

सीमा विवाद का दृष्टिकोण

अध्ययन क्षेत्र में सीमा विवाद का सर्वप्रमुख कारण गंगा व घाघरा नदियों के प्रवाह का परिवर्तनशील स्वरूप है। इसके साथ ही अपरदन व बाढ़ की स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि जब नदी किसी एक तट की मिट्टी काट कर दूसरी ओर जमा करती है तो निर्मित भूमि के स्वामित्व को लेकर संघर्ष की स्थिति आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी तटवर्ती क्षेत्रों के कृषि भूमि पर स्वामित्व का सीमांकन समाप्त हो जाता है और कृषि भूमि हेतु संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। सामान्यतः यह विवाद बुवाई से लेकर कटाई के पूर्व तक अपेक्षाकृत कम होता है, परन्तु फसल की कटाई के समय चरम पर होता है क्योंकि लोगों में कटाई के समय विवाद निपटाने की प्रवृत्ति पायी जाती है। ग्रामों के अवांछनीय व दबंग तत्व अपना प्रभाव दिखाते हैं जिससे यह क्षेत्र बाहुबल व राजनीतिक प्रदर्शन का केन्द्र हो जाता है तथा प्रत्येक कृषि ऋतु में हत्या आदि की घटनायें होती रहती हैं।

इस विवाद का एक कारण स्पष्ट एवं प्रमाणिक अभिलेखों की अनुपलब्धता भी है क्योंकि अधिकांश मामलों में दोनों प्रान्तों द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार के अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं जिन्हें दूसरी सरकारों को मान्यता प्रदान करने में कठिनाई होती है। जैसे– उत्तर प्रदेश का ग्राम रामपुर, चकरामपुर बिहार प्रान्त को हस्तान्तरित हुआ परन्तु इसका भू–भाग उत्तर प्रदेश में पुनः इशरपुर नौबरार के नाम से वापस आया एवं जो भी अभिलेख 'बाल पंचट' प्राप्त हैं वे इसी ग्राम के नाम से हैं। इस प्रकार वास्तविक अभिलेखों व अभिलेखागार से जारी अभिलेखों में अन्तर होता है। साथ ही भू–राजस्व अधिकारी एक ही भूमि को कभी अपक्षरित, कभी नदी में निमग्न तथा कभी निर्गमित दिखा कर भू–स्वामित्व की हेरा फेरी करते हैं। एक ही भू–खण्ड को एक ही समय में कई लोगों के स्वामित्व में आवंटित किया गया है जिससे भूमि के द्विस्वामित्व (Overlapping) की स्थिति पैदा हो गयी है। राज्य सरकारों में विवादों के समाधान के प्रतिबद्धता की कमी भी समस्या का कारण है।

1: Corresponding Author

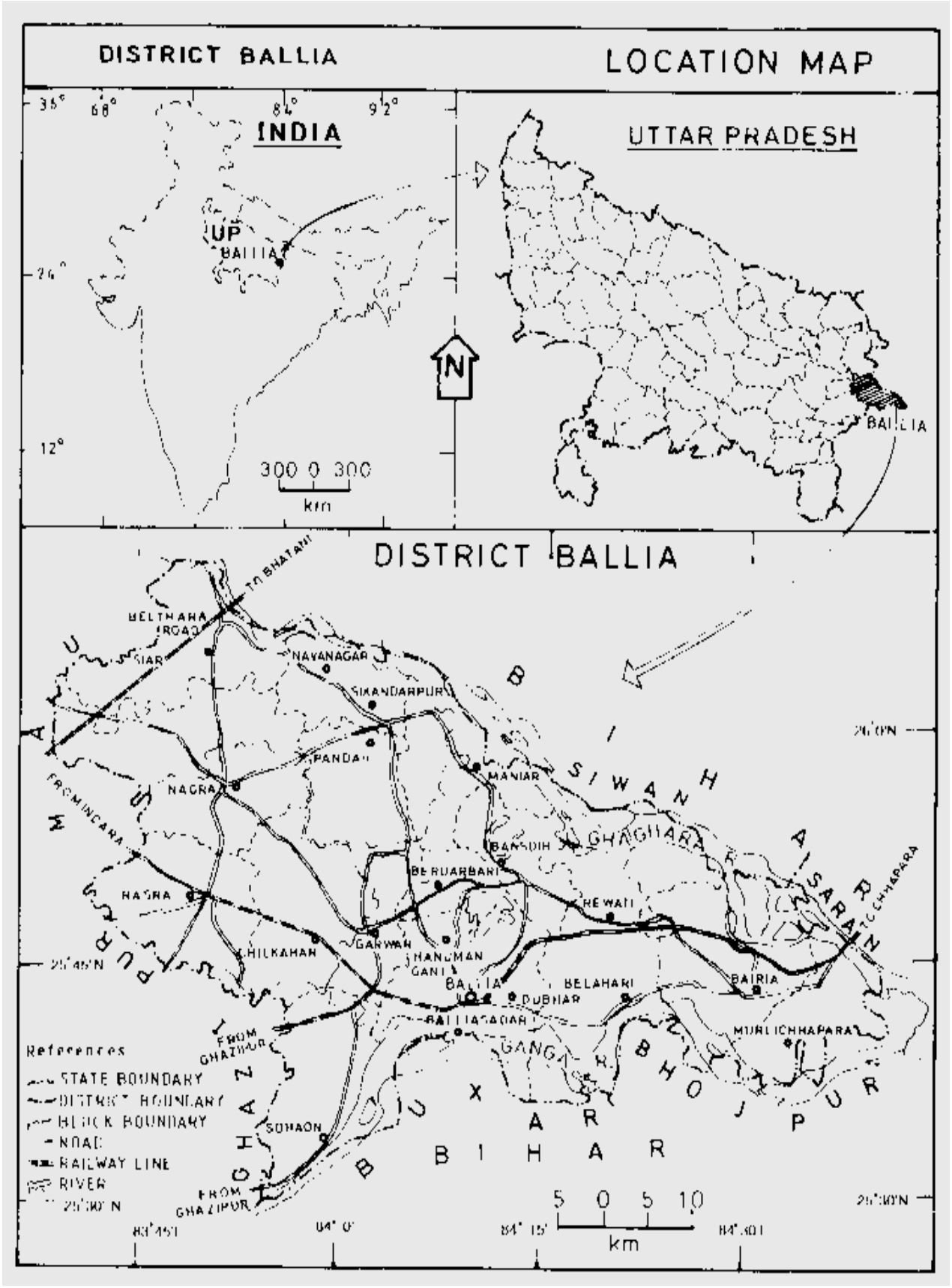

DISTRICT BALLIA
LOCATION MAP
INDIA
UP
BALLIA
300 0 300
km
UTTAR PRADESH
BALLIA
N
DISTRICT BALLIA
BELTHARA ROAD
TO BHATANI
NAVANAGAR
SIKANDARPUR
PANDAH
NAGRA
MANIAR
SIWAN
GHAGHARA
BANSDIH
BERUARBARI
RASRA
REWATI
CHILKAHAR
GARWAH
HANUMAN GANJ
BALLIA
BELAHARI
DUBHAR
BAIRIA
BALLIASADAR
MURLICHHAPARA
GANGA R.
SARAN
BHOJPUR
BUXAR
BIHAR
GHAZIPUR
SOHAON
FROM GHAZIPUR
FROM INDARA
References
STATE BOUNDARY
DISTRICT BOUNDARY
BLOCK BOUNDARY
ROAD
RAILWAY LINE
RIVER
5 0 5 10
km

अध्ययन क्षेत्र में गंगा एवं घाघरा नदियां सदैव अपने मार्ग में परिवर्तन करती रहीं है जिससे सीमा विवाद को बल मिलता रहा है। नदियों के मार्ग परिवर्तन का प्रमुख कारण तलछट निक्षेप व प्रवाहित जल की अधिकता है

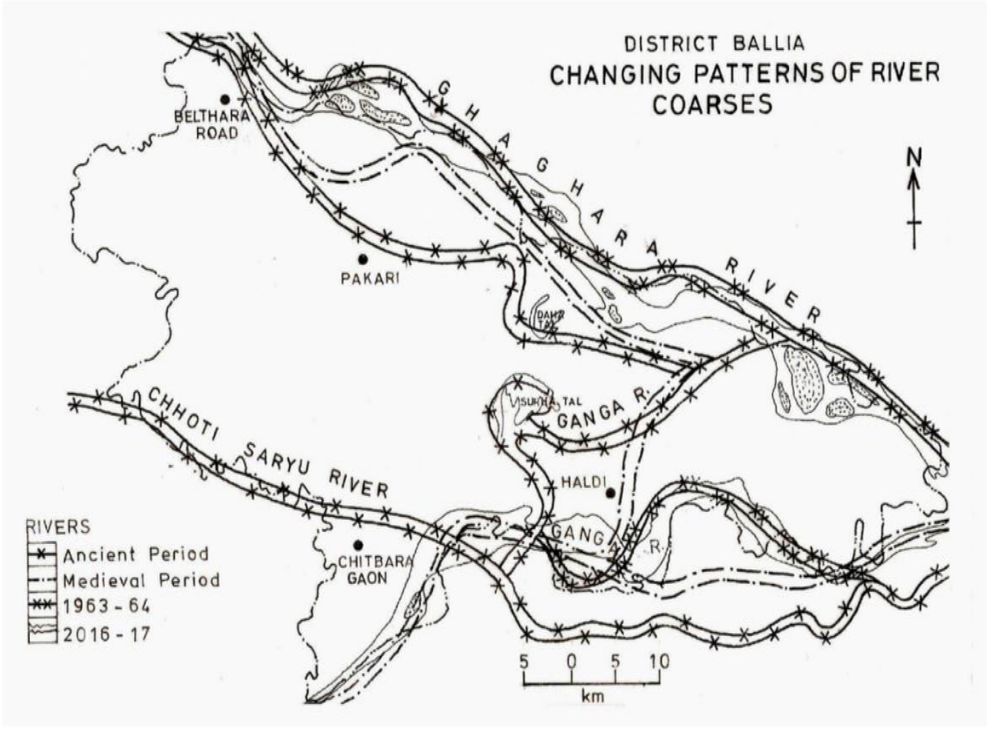

गंगा के प्रवाह में परिवर्तन

उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि गंगा नदी दक्षिण मे भोजपुर एंव उत्तर में सुरहा ताल के बीच 32 किमी0 के मध्य अपना मार्ग परिवर्तित करती रही है।(सिंह, 1973) पूर्व प्राचीन काल में गंगा बक्सर से लगभग 8 किमी0 उत्तर सीधे प्रवाहित होने के बाद पुनः पूरब की ओर भोजपुर ताल से होकर बहती थी।(रिपोर्ट आन दी रिवीजन आफ रिकार्ड्स, 1881.1885) प्राचीन काल में सूरहा ताल गंगा नदी की उत्तरी सीमा बनाता था। उस समय नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती थी जो वर्तमान समय में संकरे नाले के रूप में 'जमुनियॉ' के नाम से जाना जाता है। यह उपजाऊ निचला भाग पूर्व में 25 किमी0 लम्बे एवं 0.25 किमी चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर प्राचीन काल में बक्सर से 8 किमी0 उत्तर तथा इसके बाद 12 किमी0 पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई कोलियादह ताल से उत्तर तथा बलिया नगर के पूरब से होकर सुरहा ताल से उत्तर तक एवं पुनः उत्तर पूर्व की ओर मुड़ कर रेवती के पास घाघरा में मिलती थी।

मध्य काल में पूर्व की ओर मार्ग परिवर्तन कर यह सुरहा ताल से धीर–धीरे दाहिनी ओर मुड़ गयी और अन्त में भोजपुर होते हुए अपने प्राचीन मार्ग को ग्रहण कर ली, जहॉ गोखुर आकार की झील 'कालियादह' स्थित है। यह उस समय के गंगा नदी का अवशिष्ट भाग है जिसे आज 'बूढ़ी गंगा', 'बरह गंग' या 'पुरानी गंगा' कहते हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में गंगा नदी दक्षिण की ओर मुड़कर भोजपुर–कादिम से होकर प्रवाहित होती थी। सातवीं शताब्दी में जब ह्वेनसांग भारत आया तब गंगा नदी बक्सर से पूर्व भोजपुर, बेलोटी, मसाढ़ एवं आरा से होकर प्रवाहित होती थी। वर्तमान में इस मार्ग का अवशिष्ट भाग निचले भू–भागों में गांगी नाला के रूप में विद्यमान है। जो रेलवे लाइन के उत्तर में नदी की पुरानी धारा को प्रमाणित करता है। चौथी शताब्दी में फाह्यान के समय में गंगा नदी दक्षिणी भाग से प्रवाहित होती थी। गंगा नदी 1582ई0 तक आरा एवं मसाढ़ से उत्तर प्रवाहित होती थी। सन् 1781–1801 के मध्य गंगा नदी बलिया के समीप पूर्वी भाग में घाघरा से मिलती थी। 1840ई0 में यह अपनी दक्षिणी सीमा से 8 किमी0 उत्तर–पश्चिम में मसाढ़ से पूर्व में रीबिजगंज तक चली गयी थी। 1870ई में गंगा नदी बलिया एवं हल्दी के मध्य पर्याप्त दक्षिण से होकर बहती थी। 1910 ई0 में यह दाहिनी ओर प्रवाहित होने लगी। 1963 से 1964 तक गंगा नदी उसी मार्ग में प्रवाहित होते हुए हल्दी ग्राम के सम्पूर्ण भाग को अपरदित कर दी। 1970 के बाद गंगा नदी की धारा हल्दी के आगे उत्तर की ओर मुड़ गयी। फलस्वरूप गयाघाट, रूद्रपुर व मझावॉ गॉव नदी की धारा में विलीन हो गये एवं हजारो हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गयी। इस प्रकार दक्षिण में भोजपुर एवं सुरहाताल के बीच 32किमी0 की दूरी के मध्य गंगा नदी प्रायः अपना मार्ग बदलती रहती है।

घाघरा के प्रवाह मे परिवर्तन

वर्तमान समय में बलिया की उत्तरी सीमा बनाने वाली यह नदी गंगा नदी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील रही है, क्योंकि इसकी सहायक नदियों का उद्गम नेपाल का पर्वतीय क्षेत्र है जहॉ से अत्यधिक मात्रा में जल की पूर्ति होती है। प्राचीन युग में घाघरा नदी छोटी सरयू नदी के मार्ग से प्रवाहित होती थी और भोजपुर में गंगा से संगम करती थी। किन्तु उत्तर प्राचीन काल मे घाघरा आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत गोपालपुर एवं सवरी परगनू की सीमा के पास दो शाखाओं में विभक्त हो गयी। इसकी मुख्य शाखा उत्तर की ओर चली गयी जो घाघरा (बड़ी सरयू) कहलायी एवं गौण शाखा पुराने प्रवाह मार्ग पर ही रह गयी जो 'छोटी सरयू' कहलायी। घाघरा घोसी होते हुए नरजा, रतोय एवं घोषातालू के मार्ग से बलिया जनपद में प्रवेश की तथा ताल कोईली होते हुए हल्दी रामपुर एवं सिकन्दरपुर के 5किमी0 दक्षिण से मनियर तक तथा पुनः दह ताल एवं बॉस डीह होते हुए रेवती के पास गंगा में संगम करती थी। उत्तर वैदिक काल में सिकन्दरपुर से 8 किमी0 उत्तर–पूर्व एवं वहां से दक्षिण–पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई दह ताल के उत्तर से आकर रेवती के समीप गंगा में मिलती थी। मध्य युग में घाघरा नदी तूर्तीपर के दक्षिण–पूर्व से उत्तर–पूर्व को गोखनी तक एवं वहॉ से रेवती के उत्तर से सिताबदियरा व रीबिजगंज के मध्य प्रवाहित होती थी। 1922 में यह छपरा के निकट प्रवाहित होती थी। 1955–56 में घाघरा नदी की धारा हनुमानगंज के निकट दक्षिण की ओर मुड गयी।(वही)

जिससे भयंकर कटान की स्थिति उत्पन्न हो गयी। हेवतपुर ग्राम रातों–रात कट कर नदी की धारा में विलीन हो गया। दुर्जनपुर, हनुमानगढ़, नारायण गढ़ ग्रामों का अधिकांश भाग एवं हजारों हेक्टेयर कृषित भूमि घाघरा की धारा में विलीन हो गयी। 1963–64 में घाघरा नदी पुनः उत्तर की ओर मुड़ कर प्रवाहित होने लगी जिससे सम्पूर्ण कटी हुई भूमि पर पुनः नई जलोढ़ के रूप में निक्षेपित हो गयी। 1971 में तुर्तीपार से 1 किमी0 उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़कर घाघरा छपरा के पूर्व में गुल्टेनगंज के पास गंगा में मिलती थी। वर्तमान समय में घाघरा का गंगा के साथ संगम छपरा से 10 किमी0 पूर्व में है।

उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद व बिहार प्रान्त के मध्य की उभयनिष्ठ सीमायें गंगा व घाघरा नदियों द्वारा निर्धारित होती रही हैं। वर्ष 1970 के पूर्व 'धार–धूरा प्रणाली' के अन्तर्गत नदियों की गहरी धारा ही वास्तविक सीमा रेखा हुआ करती थी। फलस्वरूप नदियों की प्रतिवर्ष धारा परिवर्तन के साथ (वर्षा ऋतु में) अपरदन व निक्षेप की प्रक्रियाओं के द्वारा 'धुर–धारा' भी परिवर्तित होती रही है जिससे उत्तर प्रदेश के भू–भाग बिहार प्रान्त में और बिहार प्रान्त के भू–भाग उत्तर प्रदेश मे चले आते थे। परन्तु परिवर्तित क्षेत्र मे कृषि सम्बन्धी अधिकार परिवर्तन के पूर्व के भू–खण्डों के स्वामियों के ही माने जाते थे और तद्नुसार अभिलेखों का आदान–प्रदान होता था। जिससे अनेक सामाजिक, प्रशासनिक व व्यावाहिक समस्यायें उत्पन्न होती थी।

समय–समय पर समस्याओं के समुचित समाधान हेतु दोनों प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रयास होते रहे परन्तु वे किसी समाधान पर एक मत न हो सके। 1961 ई0 मे दोनो प्रान्तों के मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हो गये कि यह वाद प्रधानमंत्री (जवाहरलाल नेहरू) द्वारा नियुक्त किसी पंच (Arbitrator) को सौंप दिया जाय तथा उसके द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा लिये गये निर्णय को स्वीकार किया जायेगा। श्री चन्दू लाल त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसने गंगा व घाघरा दोनों नदियों में सीमा रेखा निर्माण का प्रस्ताव किया तथा इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन 28 अगस्त 1964 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सौंपा जिसे स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों राज्य सरकारों को इसे अपनाने का निर्देश दिया। इस प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं–(रिपोर्ट आफ दी यूनाइटेड प्रोविन्सेज जमींदारी एबालिशन कमेटी वाल्यू0 1)

1– दोनों प्रान्तों की सीमा रेखा धुर–धारा प्रणाली (Deep Stream System) के बजाय स्थिर सीमा द्वारा निर्धारित की जाय।

2– 1963–64 की धुर–धारा स्थिति (Deep Stream Position) के आधार पर स्थिर सीमा निर्धारण में लगभग 45 वर्ग मील क्षेत्र उत्तर प्रदेश से बिहार और लगभग 64 वर्ग मील क्षेत्र बिहार से उत्तर प्रदेश को स्थानान्तरित होगा।

3– वर्तमान में सम्पूर्ण सीमा रेखा जलीय भाग में है जबकि स्थिर सीमा का गंगा परिक्षेत्र में लगभग 85 प्रतिशत भाग व घाघरा परिक्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत भाग स्थल पर होगा।

4– जब तक विधिक प्राधिकारों के द्वारा परिक्षेत्र स्थानान्तरित न हो जाय, तब तक वर्तमान स्थिति बनी रहेगी । परन्तु वर्तमान सीमा की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण स्थानान्तरित परिक्षेत्र के वास्तविक विस्तार की जानकारी उन प्राधिकृत लोगों को स्पष्ट न हो सकी, जिन्हें नियमो को लागू करना था। इसलिए वास्तविक स्थानान्तरण करने से पूर्व दोनो नदियों के धुर–धारा के निर्धारण, भूमि पर स्थिर सीमा के सीमांकन तथा स्थानान्तरित परिक्षेत्र के मानचित्र निर्माण व प्रकाशन हेतु प्रावधान बनाने हैं।

5– बिहार और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालयों के मध्य Authorization of expenditure, apportionment of assets and liabilities and certain other matters के न्यायिक वादों के निस्तारण हेतु संसद व विधान सभाओं में आवश्यक Supplemental और Incidental प्रावधान करने होगें।

उत्तर प्रदेश व बिहार के मध्य सीमा निर्धारण, क्षेत्रों के परिवर्तन तथा उससे सम्बन्धित मुद्दों के निस्तारण हेतु 22 मई 1968 को संसद में 'उत्तर प्रदेश–बिहार सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 [The Bihar and Uttar Pradesh (Alternation of Boundaries) Act-1968] पारित हुआ, जो 10 जून 1970 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम में क्षेत्रों के स्थानान्तरण के प्रमुख विन्दु निम्न थे–(रिपोर्ट आन बाउण्ड्री डिस्प्यूट्स–बिहार एण्ड यू0पी0 1968)

क– परिक्षेत्रों का स्थनान्तरण– 1– बलिया जनपद का वह समस्त क्षेत्र जो गंगा तथा घाघरा नदियों की निर्धारित सीमा और धुर–धारा के मध्य स्थित है, बिहार राज्य में सम्मिलित होगा।

2– बिहार राज्य के सारन जनपद का वह समस्त क्षेत्र जो निर्धारित सीमा और घाघरा नदी की धुर–धारा के मध्य स्थित है एवं शाहाबाद जनपद का वह क्षेत्र जो निर्धारित सीमा और गंगा नदी की गहरी धारा के मध्य स्थित है, उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होगा।

ख– गंगा व घाघरा नदियों के मध्य सीमांकन का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी करेगा तथा इस सन्दर्भ में उसे बाढ व सूखा दोनों ऋतुओं में सीमा की पहचान, सीमा स्तम्भों के स्थायित्व तथा उपस्थित आबादी को विखराव से बचाने हेतु प्रयास करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

3– सीमांकन के सम्बन्ध में a- उक्त प्राधिकारी द्वारा की गयी सीमा की कोई भी व्याख्या अन्तिम होगी, b- उक्त प्राधिकारी के पास यह अधिकार होगा कि सीमा स्तम्भों की नई स्थिति के विन्दुओ को निर्धारित करे तथा निर्धारित अवस्थिति पर सीमा स्तम्भों के निर्माण व रख–रखाव की जिम्मेदारी उन राज्य सरकारों पर होगी, जिसे प्राधिकारी निदेर्शित करेगा।

4– उक्त प्राधिकारी स्थानान्तरित गॉवों को दर्शाने हेतु एक मानचित्र तैयार करेगा जिसमें गंगा–घाघरा नदियों की मध्य धारा, स्थिर सीमा तथा स्थनान्तरित ग्रामों की सीमाओं व नामों (सरकारों के न्यायवादों व राजस्व अभिलेखों के सन्दर्भ में) को दर्शायेगा, जिसे बाद में सर्वे आफ इण्डिया के निर्देशन में केन्द्र सरकार प्रकाशित करेगी।

5– लागू होने की तिथि से राज्य सरकारे कार्यालयी रिकार्डों के साथ प्रशासनकि इकाईयों (जनपद व तहसील के अंग, पुलिस स्टेशन आदि) को भी स्थानान्तरित करेगा। इसी के साथ समस्त जिम्मेदारियां भी स्थानान्तरित हो जायेगीं। परन्तु भू–स्वामित्व सम्बन्धी दावें 6 माह तक अपने राज्य मे ही हल किये जायेगें।

उपरोक्त अधिनियम के अनुसार बिहार प्रान्त के 99 ग्राम (क्षेत्रफल लगभग 42240 एकड़) उत्तर प्रदेश को तथा उत्तर प्रदेश से 44 ग्राम(क्षेत्रफल लगभग– 28160एकड) बिहार प्रान्त को हस्तान्तरित किये गये। ग्रामों तथा भू–चित्रों के अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत

हस्तान्तरण दोनों प्रान्तों के बीच निर्धारित की गयी स्थायी सीमा के आधार पर हुआ जिसका स्थल पर निर्धारण सर्वे आफ इण्डिया द्वारा किया गया। अभिलेखों तथा भू–चित्रों के संशोधन हेतु शासनादेश संख्या यू0पी0 1/1–06–72..... दिनांक 26 जुलाई 1973 द्वारा जनपद बलिया के 267 ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्मिलित हैं जिनमें बिहार प्रान्त द्वारा संक्रमित 99 ग्राम भी लिये गये हैं। इन 99 ग्रामों में से गंगा सेक्टर के 53 ग्राम तथा घाघरा सेक्टर के 34 ग्रामों अर्थात कुल 87 ग्रामों का कार्य पूर्ण करके अभिलेख प्रक्रिया से पृथक किया जा चुका है। मात्र 10 ग्राम गंगा सेक्टर के तथा 2 ग्राम घाघरा सेक्टर के अर्थात कुल 12 ग्रामों का कार्य अभी अवशेष हैं जिसमें अभिलेख प्रक्रियायें चल रही हैं। बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य हस्तान्तरित ग्रामों की सूची सारणी संख्या 1 में वर्णित है।

सारणी संख्या– 1: 10 जून 1970 से उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य स्थायी सीमा निर्धारण के फलस्वरूप संक्रमित ग्रामों का विवरण–

बिहार से उत्तर प्रदेश को संक्रमित			उत्तर प्रदेश से बिहार को संक्रमित		
क्र0	गंगा सेक्टर	घाघरा सेक्टर	क्र0	गंगा सेक्टर	घाघरा सेक्टर
1	मंझरिया नौबरार	दियरा मौजा अमरपुर	1	कोट	चॉद दियरा
2	उमरपुर नौबरार	केवटलिया	2	हसनपुरा	महाजीचॉद दियरा
3	मंझरिया	डुमहर खुर्द दियरा	3	तारनपुर	मॉझी दियरा न036
4	उमरपुर दियरा पश्चिम नौबरार	डुमहर दियरा	4	शाहपुर गंगबरार	डुमाइगढ़
5	उमरपुर दियरा	दियरा नेवादा	5	बिजईपुर	मटियार दियारा
6	प्रतापपुर नौबरार	विलक दियरा	6	धानापाह	रामपुर जमीन गंगवार पट्टी मसरिक
7	उमरपुर जोत मिश्रान बड़का गॉव	एक्सटेंशन ऑफ विलक	7	रामपाह	चक्की दियरा सुल्तानपुर
8	मुगरौल	एक्सटेंशन ऑफ अमरपुर	8	शिवपुर दियर जनूवी	महाजी ककरघट्टा
9	पदुमपुर	डुमाईगढ़	9	शिवपुर दियर सुमाली	महाजी गोड़ौली
10	नगपुरा	गयासपुर दियरा	10	टीका सेमरिया	बिक्रमपुर दियरा पूर्वी
11	केशोपुर	टरेनवॉ	11	महाजी दोकटी	एलासगढ़ खास
12	केशोपुर राजपुर डिग्रीसुदा	एक्सटेंशन ऑफ टरेनवॉ	12	दोकटी	एलसगढ़ नौबरार
13	राजापुर तौफिर	शिशवन	13	होरलही	दियरा मनियर टुकड़ा 1
14	डूभा तौफिर	गंगापुर	14	धरमपुरा	दियरा मनियर टुकड़ा 2
15	खरहाटार तौफिर	भागर दियरा	15	सिंगही	दियरा महाजी काशीदत्त
16	गंगौली तौफिर	एक्सटेंशन आफ भागर दियरा	16	दलन छपरा	दियरा हरनाटार
17	प्रानपुर डिग्रीशुदा प्रीवी कौंसिल	भागर	17	रामपुर कोड़रहा	दियरा दरौली
18	भेलसढ़	गभीड़ार दियरा	18	रघुनाथपुर	
19	मनिपुर	एक्सटेंशन आफ गभिड़ार दियरा	19	कोड़रहा उपरवार	
20	सपही	कौसड़	20	जवहीं	
21	नैनीजोर	कौसड़ दियरा	21	कल्यानपुर	
22	नैनीजोर नौबरार	एक्सटेंशन आफ कोसड़ दियरा	22	खवासपुर	
23	महुवार नौबरार	कचनार दियरा	23	बिलासपुर	
24	नैनीजोर दियरा प0	कचनार	24	बिलसपुर दियरा	
25	पोखरा	एक्सटेंशन आफ कचनार दियरा	25	शबदलपुर	
26	नैनीजोर	दियरा भाव सिंह	26	भृगुआश्रम	
27	पृथ्वी छपरा	कोहड़धारी दियरा	27	उधोपुर	
28	हरदेव छपरा	नरहन दियरा			
29	इसरपुर	हरपुरदियरा			
30	इसरपुर नौबरार	नवादा दियरा			
31	सोनवरसा दियर	बसंतपुर दियरा			
32	धुन्ध छपरा	न्रहन			
33	गायघाट				
34	बगही				
35	बघउच				
36	डांगरा बाद				
37	दुर्जनपुर				
38	गरयां				
39	नैनीजारे दियरा प0 टुकड़ा नं0 2				
40	पचरुखिया				
41	घिनहूँ छपरा उर्फ शुकुल छपरा				
42	बुल्लापुर				
43	तुलापुर टुकड़ा नं0 2				
44	अराजी माफी तुलापुर				
45	मीनापुर मु0दुर्जनपुर				
46	हरिसेवक छपरा				
47	चौबे छपरा				
48	कवलपत छपरा				
49	टोला बड़ेबाबू				
50	उदयी छपरा				
51	सोनबरसा दियर नौबरार				
52	नवरंगा				
53	बंशगोपाल छपरा				
54	पाण्डेयपुर				
55	चुक्की नौरंगा ओझवलिया दियर				
56	चुक्की नौरंगा मौ0 महाजी राम करही				
57	चक्की नौरंगा मौ0 महाजी रसूलपुर रामकरहीं				
58	भगवानपुर				
59	गोपालपुर				
60	उघीपुर				
61	सलेपुर दियरा				
62	सलेमपुर महाजी				
63	जमीन काजिल				
64	महाजी अधिसिझुआ				
65	दियरा मॉझी				
66	माझीं दियरा				
67	मभैला				

स्रोत–त्रिवेदी आयोग की बिहार–उत्तर प्रदेश सीमा विवाद से सम्बन्धित रिपोर्ट 1968

वर्णित सूची मे उन ग्रामों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो 1884 से 1950 के दौरान कई बार राज्य परिवर्तन के बावजूद अन्ततः अपने गृह राज्य में ही स्थापित हुए। उदाहरणार्थ यदि कोई ग्राम 1884 में बिहार में था एवं 1900ई0 में इसे उत्तर प्रदेश को हस्तान्तरित किया गया तथा 1950 के पूर्व इसे पुनः बिहार में सम्मिलित कर लिया गया जो 1950 तक बिहार में रहा तो इसे सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार सन् 1981 – 84 तथा 1962–63 के मध्य 57 ग्रामों की स्थिति दो बार, 23 ग्रामों कि स्थिति 3 बार , 9 ग्रामों

कि स्थिति 4 बार , 2 ग्रामों की स्थिति 5 बार तथा 7 ग्रामों कि स्थिति 6 बार परिवर्तित हुई है।

सीमांकन

चन्दूलाल त्रिवेदी की रिपोर्ट मे गॉव की सीमाएं और नाम सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा 1881–83 में कराये गये सर्वेक्षण पर आधारित उ0प्र0 के जनपद बलिया और बिहार प्रान्त के जनपद सारन व साहाबाद के बृहद मापक सर्वेक्षण के पत्रक के अनुसार है तथा जिन क्षेत्रों का अंकन किसी अभिलेख में नहीं था उनका निर्धारण दोनों राज्य सरकारों की सहमति के आधार पर किया गया। गंगा घाघरा नदियों व उनके उच्च किनारों का अंकन सर्वेक्षण अभिलेखों में भौगोलिक नदियों व उनके उच्च किनारों की स्थिति के आधार पर किया गया है। इसमे सीमायें सतत रेखा के रूप में इंगित हैं। (जीवोआई रिपोर्ट आन बाउण्ड्री डिस्प्यूट्स विटवीन यू0पी0 एण्ड विहार वाल्यू0 1 1964)

गंगा अंचल–(बिहार एण्ड यू0पी0 एल्टेन्सन आफ बाउण्ड्रीज एक्ट, डेलीगेटेड लेजिशलेशन प्रोवीजन (अमेंडमेंट एक्ट 4 आफ 1986)**)**

1– इस सेक्टर की सीमा बिहार व उत्तर प्रदेश के मध्य स्थापित स्थिर सीमा पर एक विन्दु (लगभग 25^0 44′ 10′′ उ0 व 84^0 36′ 06′′ पू0) से प्रारम्भ होती है, जो सिताब दियरा (बिहार) , महाजी कोंडरहा और खवसपुर (उ0प्र0) में स्थित है और इसकी अवस्थिति बाबूदेरा ग्राम (डालजी टोला के पास) के पास वर्तमान आबादी स्थल से लगभग 1/2 मील दक्षिण –पश्चिम दिशा में है।

2– इस बिन्दु से यह सीमा रेखा सरल रेखा के रूप में गांगा के उच्च किनारों से होकर उत्तरोत्तर विन्दुओं (25^0 44′ 12′′उ0 व 84^0 33′ 44′′ पू0, 25^0 44′ 06′′ उ0 व 84^0 33′ 46′′ पू0) को जोड़ता है जिसके किनारे स्थित गॉव उ0प्र0 में महाजी कोंडरहा व कोडरहा तथा बिहार में खवसपुर है। इस विन्दु से सीमा गंगा के उच्च किनारों से होकर 25^0 43′35′′ उ0 व 84^0 32′32′′ पू0 के बिन्दु तक उ0 प्रदेश के मोहनपुर और मंडरौली कांस या तिरभुवनी गॉवों तथा बिहार के खवसपुर, पदुमानियन, सोहरा, इंगलिश, अराजी, बलुआ, नरगड़ा, पीपरजाति, सलेमपुर दियरा तथा मामलुक सरकार गॉवों की सीमाओं के सहारे जाता है। इस विन्दु से सीमा रेखा गंगा के उत्तरी उच्च किनारों से होती हुई सीधी रेखा के रूप में 25^0 43′26′′ उ0 – 84^0 32′12′′पू0 , 25^0 40′56′′उ0– 84^0 31′52′′पू0 तथा 25^0 40′30′′ उ0–84^0 31′20′′ पूर्वी बिन्दुओं को जोड़ती है जिसके सहारे उ0प्र0 के रघुनाथपुर, देवाकर, देहरी, केवटिया, नरायनपुर, सिंघाई, धरमपुर, दोहटी व महाजीदोकटी तथा बिहार के सलेमपुर दियरा मामलुक सरकार, सलेमपुर परसा और टेक सेमार स्थित है।

3– इसके आगे यह सीमा उ0प्र0 के महाजीदोकटी, आराजी जबती, महाजी नौबरार नं0 49 , नौबरार बन्दोबस्ती नं0 48 ,टीका सेमारिया व निपनियन तथा बिहार के जमीन फाजिल, सुरेमनपुर, हरिनारायन व बारा सिंह बुजुर्ग गॉवों की समान्य सीमाओं का अनुसरण करते हुए गंगा के उच्च किनारे पर स्थित बारसिंह बुजुर्ग गॉव के उ0प0 कोने पर स्थित बिन्दु 25^0 41′54′′ उ0–84^0 25′02′′ पू0 तक पहुचती है।

4– इसके पश्चात यह सीधी रेखा के रूप में क्रमशः 25^0 41′05′′ उ0–84^0 24′33′′ पूर्वी व 25^0 42′ 33′′ उ0–84^0 24′11′′ पूर्वी विन्दुओं को जोड़ती है, जिसके किनारे उत्तर प्रदेश का नवरंगा गॉव तथा बिहार का नौरंगा चक्की व सोनवरसा गॉव स्थित है। इस विन्दु के बाद यह उ0प्र0 के नौरंगा भुवाल, छपरा, पाण्डेयपुर, रामपुर व उदयी छपरा तथा बिहार के नौरंगा चक, शिवपुर व बरियारपुर गॉवों की सामान्य सीमा का अनुकरण करते हुए बिन्दु 25^0 43′55′′ उ0– 84^0 23′ 11′′ पूर्वी तक पहुचती है। इस विन्दु से यह सीमा गंगा के किनारे उदयी छपरा के पश्चिमी सीमा का अनुसरण करती हुई उ0प्र0 के टोला बारी कवलापत छपरा उर्फ दूबे छपरा प्रथम भाग , पचरूखिया, तुलापुर आराजी, माफी खेदान, क्वानर व दुर्जनपुर तथा बिहार के सुधर छपरा व दुर्जनपुर चकगॉवों की सामान्य सीमा का अनुसरण करते हुए गंगा के किनारे बिन्दु 25^0 44′ 12′′उ0– 84^0 22′ 41′′ पूर्वी तक पहुचती है। पुनः उ0प्र0 के दुर्जनपुर व दंगरा बाद तथा बिहार के शुकुलपुरा या घिनाहूँ छपरा गॉव की सामान्य सीमा का अनुसरण करते हुए गंगा के उच्च किनारे पर स्थित गॉव शुकुलपुरा के उ0प0 कोने दक्षिण में स्थित बिन्दु 25^0 44′33′′ उ0–84^0 22′ 00′′ तक पहुचती है।

5– इसके बाद यह सीमा गाय घाट के दक्षिणी पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर उ0प्र0 के डंगराबाद व बिघाई गॉव तथा बिहार के नैनीजोर गॉव से होते हुए बिन्दु 25^0 40′ 04′′ उ0–84^0 19′ 17′′ पूर्वी तक पहुचती है जिसके किनारे उत्तर प्रदेश के बघौच, बाबूबेल, हल्दी, रिकनी छपरा, खास नगर व जूही तथा बिहार के नैनी जोर, महुआर, व बहादुर पट्टी गॉव स्थित है। इसके आगे यह उत्तर प्रदेश के जौही एंव बिहार के बिसुपुर व जगदीशपुर की समान्य सीमा का अनुसरण करते हुए गंगा के सहारे सफी गॉव तक पहुचती है ।

6– इसके पश्चात् यह सीमा गंगा के उच्च किनारो का अनुसरण करती हुई बिन्दु 25^0 45′ 03′′ उ0– 84^0 10′ 35′′ पूर्वी तक पहुचती है जो उत्तर प्रदेश के जौही, शिवपुर दियर, गंगबरार व शिवपुर दियर तथा बिहार के मानिपुर, शिवपुर दियर चक्की, परानपुर, फरहादा, खरहा, तनर स्टेट नं0 1, तौफीर, गंगौली स्टेट नं0 1 , दूभा स्टेट नं0 1 , तौफर राजपुर व दियरा परतापपुर गॉवों की सीमाओं का अनुसरण करती है।

7– तत् पश्चात् यह सीमा 25^0 43′ 24′′ उत्तरी – 84^0 07′ 52′′ पूर्वी तक उत्तर प्रदेश के शिवपुर दियर, शिवरामपुर, धमौली, काशिमपुर, बजीरापुर, भिखमपुरा, तुर्कबलिया, शाहपुर दिखवारा, शोभापुर व बिजयीपुर ग्रामों तथा बिहार के दियरा परतापपुर, दियरा जगदीशपुर व परसन पाह ग्रामों से गुजरती है।

8– इसक बाद यह सीमा सीधी रेखा के रूप मे गंगा क सहारे बिन्दु 25^0 36′ 52′′ उ0 – 84^0 01′ 10′′ पूर्वी तक पहुचती है जिसके किनारे उत्तर प्रदेश के मालदेपुर , पारसी पट्टी, हैबतुपुर , तारनपुर, बासथाना, पाण्डेयपुर, स्माईलपुर, हसनपुर, टकरसैण्ड, अंजोरपुर, कोठ, अराजी दियरा, शाहापुर का नौबरार, कुल्हरिया का नुबारा, पलिया का नोबरार, शखलपुर का नौबरार, रानीकिशुनपुर पट्टी का नौबरार, सेवपुर का गंगबरार व शीतलपट्टी का गंगबरार गॉव तथा बिहार के परसन पाह, सुल्तानहीडिलिया, परनही कला, उमरपुर दियरा, सुरात नर, नागपुर, पदुमपुर, मिश्रौलिया, मंझरिया और अर्जुनपुर गॉव स्थित हैं।

9– तत्पश्चात् यह सीमा सीधी रेखा के रूप में गंगा के किनारे 25^0 33′36′′ उ0–83^0 55′ 51′′ पूर्वी तक पहुचती है। यह इसका अन्तिम छोर है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर व बलिया जनपदों तथा बिहार के शाहाबाद जनपद के संगम पर स्थित है।

घाघरा अंचल

1– इस सेक्टर मे सीमा का प्रारम्भ उत्तर प्रदेश के जजीरा नं0 36 व बिहार के सिताब दियरा के मध्य वर्तमान नौका टोला गॉव के उत्तर–पूर्व लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित बिन्दु 25^0 46′ 21′′ उ0 व 84^0 37′ 15′′ पूर्वी से होता है।

2– इस विन्दु से सीमा सीधी रेखा के रूप मे घाघरा के उच्च किनारों से होकर बिन्दु 25^0 50′ 21′′ उ0 – 84^0 33′06′′ पूर्वी तक पहुचती है। इसके समीपस्थ बिहार के सिताबदियरा, दियरा नौबरार, गोडनन, सीमारिया बाडपा बुजुर्ग, मंझनपुर, कनारू, धौनरू, दियरा माझी व खास, महाजी डुमरी तथा उत्तर प्रदेश के चॉद दियरा तथा जजीरा दियरा ग्राम स्थित हैं।

3– तत्पश्चात यह सीमा 25^0 53′ 08′′ उत्तरी– 84^0 29′ 34′′ पूर्वी तक पहुचती है। जिसके समीप बिहार के जजीरा हाटवे, डुमरी, बभनौली, तथा डोमाईगढ व उत्तर प्रदेश के महादी अधिसिझुआ, व गोपालपुर गॉव स्थित हैं। इसके आगे सीमा रेखा बिहार के मटियार दियरा, महाजि नौबरार बशिष्ठ नगर, रामनगर गोपालपुर व रामनगर सुमाली, तथा उत्तर प्रदेश के बशिष्ठ नगर , रामनगर जनूबी, आसमानपुर, चत्तुरपुर, भोजपुर, गोविन्दपुर, अलगदियरी, जमीनगंगबरारी पट्टी, मसरिक और रामपुर ग्रामों की सामन्य सीमा का अनुसरण करते हुए 25^0 55′ 49′′ उत्तरी व 84^0 24′46′′ पूर्वी तक पहुचती है।

4– इसके पश्चात् यह सीमा सीधी रेखा के रूप में घाघरा के किनारे होती हुई बिन्दु 25^0 58′38′′उ0–84^0 14′ 46′′ पूर्वी तक पहुचती है। यह बिहार के शिशवा गंगापुर भागर निजामत, कचनार एवं सिसयी दियरा, गभिरार , मामलुक सरकार, कौसरपट्टी, नरहन बदलू मोहकामपट्टी तथा उत्तर प्रदेश के दियर भागर, दियर नौबरार, लख्मीराय माधोराय, छापधनन्तर, चक्की दियरा सुल्तानपुर गॉवों की सीमा से गुजरती है।

5– तत्पश्चात यह बिहार के नरहन बदलू मोहकाम पट्टी काकुलियत, दियरा भावी सिंहपुर, पट्टी काकुलियत, अधमपुर, तथा बन्दोबस्ती पटार, एवं उत्तर प्रदेश के आदमपुर चक्की , बिक्रमपुर गॉव की सामान्य सीमाओं का अनुसरण करते हुए बिन्दु 25^0 59′ 38′′ उ0 व 84^0 11′08′′ पूर्वी तक पहुचती है।

6– इसके बाद यह बिहार के दियरा नौबरार दियरा मनियर तुक्र प्रथम तथा महाजिमनियर तुक्र द्वितीय एवं उत्तर प्रदेश के एलासगढ़ गॉव की सीमा के सहारे बिन्दु 26^0 01′ 28′′ उ0 व 84^0 10′ 11′′ पूर्वी तक पहुचती है।

7– इसके आगे यह सीमा सीधी रेखा के रूप में बिहार के कसलिया, पोहविनियॉ, दियरा काशीदत्त, अमरपुर, तथा उत्तर प्रदेश के देवारा दरौली, देवारा अमरपुर, शिशोतर तथा लिलकर, ग्रामों की सीमाओं के सहारे बिन्दु 26^0 06′ 00′′ उ0–84^0 03′ 27′′ पूर्वी बिन्दु पर पहुचती है । इस सीमा का अन्तिम छोर बिहार के सारनपुर जनपद तथा उत्तर प्रदेश के बलिया व देवरिया जनपद की सीमाओं का संगम है।

तटीय प्रवाह में परिवर्तनों का भू–राजनीतिक प्रभाव

वर्तमान में दियरांचल की प्राकृतिक बनावट अपराध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। दियरांचल की वादियां अपराधियों के लिए शरणगाह साबित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश– बिहार के न जाने कितने मलखान सिंह सरीखे डकैत व बदमाश यहॉ डेरा जमा चुके हैं। मिनी चम्बल के रूप मे विकसित होते दियरांचल की प्राकृतिक बनावट उनकी अत्यधिक सहायता करती है। यूपी की पुलिस दबिश देती है तो यह डकैत व बदमाश बिहार की सीमा में नदी पार कर घुसपैठ कर जाते हैं। ऐसी ही स्थिति बिहार पुलिस की दबिश के दौरान भी होती है। उत्तर प्रदेश–बिहार की विभाजक गंगा व घाघरा नदियों के दोनो तरफ अत्यधिक मात्रा में जंगल व झंखाड़ हैं। यहॉ दिन मे भी यदि अपराधी छिप जाय तो पुलिस के सघन काम्बिंग के बाद भी मुश्किल से ही उन्हें ढूढा जा सकता है । इन्हीं जंगलों में अनेक नामी–गिरामी इनामिया अपराधी शरण लिये हुए है। ये अपराधी झोपड़ी बनाकर मजे से यहॉ चैन की बंशी बजाते हैं। पुलिस की भनक लगते ही वे इर्द–गिर्द की झाड़ियों में छिपकर उन्हें आसानी से चकमा दे देते हैं। इतना ही नहीं , अगर मुठभेड़ हो भी जाती है तो वे नदी पार कर आसानी से बिहार की सीमा मे प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में जब तक बिहार की पुलिस से उत्तर प्रदेश की पुलिस सम्पर्क करती है तब तक ये अपराधी पर्याप्त दूर निकल गये होते हैं। ऐसी ही स्थिति बिहार के अपराधियों के साथ भी है। तमाम अपराधियों का इलाके के दियार क्षेत्र के मानगढ़, गोपाल नगर, बशिष्ठ नगर, शिवाला मे भी निरन्तर आजा जाना लगा रहता है। रेवती थाने के सामने जयी छपरा, शिशवन घाट, तथा डुमाईगढ के सामने फुलवरिया, मॉझा, जजीरा, ग्यासपुर घाट, गोपालपुर, कल्हुआरा, इन अपराधियों का मुख्य केन्द्र बन चुका है। ये अपराधी अक्सर इलाके में डकैती छिनैती, रंगदारी आदि करते हैं। मवेशी तस्करी के साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी से भी लाभ कमाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इस इलाके में एक मात्र पुलिस चौकी गोपालपुर नगर है। यहॉ पर्याप्त पुलिसबल की तैनाती न होने से पुलिस खुद ही असहाय रहती है। साथ ही अपराधियों के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सपा के द्वाबा इकाई अध्यक्ष राजप्रताप यादव , गोपाल नगर पूर्व प्रधान अर्जुन यादव, पूर्व प्रधान हरिलाल यादव, व बैजनाथ सिंह ने दोनो राज्यों से संयुक्त कांम्बिंग कर अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने की मांग की और सावधान किया कि यदि शीघ्र अंकुश न लगाया गया तो यह मिनी चम्बल असली चम्बल को भी पीछे छोड़ देगा। परन्तु अभी तक इन पर अंकुश के पर्याप्त कदम नहीं उठाये जा सके हैं। क्योंकि सराकरों के बदलाव एवं प्रशासनिक व राजनीतिक शक्तियां समस्या के समाधान के बजाय उनका राजनीतिक लाभ उठाने के प्रति अधिक सचेष्ट रहती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कतिपय राजनीतिज्ञ अपराधियो को संरक्षण प्रदान करते हैं जिसका लाभ उन्हें चुनावों में मिलता रहता है।

गंगा व घाघरा नदियों के तटीय प्रवाह में परिवर्तन के कारण अनेक मानवीय तथा गैर मानवीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विगत दशाब्दियों में मानवीय समस्याओं के रूप में लाखों व्यक्ति अपने आवास स्थल को छोड़कर नये आवास स्थलों की खोज में शरणार्थियों की भॉति बिना घर–बार के जीवन यापन करते रहे हैं। इन नदियों के तटीय प्रवाह में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न वैधानिक व सामाजिक समस्याओं के रूप में सहस्रों व्यक्ति काल कलवित हुए हैं। इन क्षेत्रों में सदैव तनावपूर्ण वातावरण रहा है तथा मारपीट, अपहरण व हत्या की घटनायें भी आम हो गयी हैं तथा नक्सलवादी प्रवृत्ति का भी तीव्र गति से विकास हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र में तटीय प्रवाह परिवर्तनों के कारण क्षेत्र की भू–आर्थिकी भी समस्याग्रस्त रही है। मुख्य आर्थिक समस्या भू–स्वामित्व तथा फसलों के उत्पादन व अधिग्रहण के वर्चस्व को लेकर होती है। भू–स्वामित्व व कृषि राजकीय विषय है, जिसके कारण स्वतंत्रता के पश्चात् भी इस समस्याजनित परिस्थिति में भूमि के विभिन्न खण्डों पर

स्वामित्व को निर्धारित करना, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के प्रशासन को सदैव कठिन रहा है। भू–स्वामित्व की अस्थिरता स्वतः स्पन्दित कृषि विकास में गतिरोध उत्पन्न करती है। यहाँ पर भू–स्वामित्व की अस्थिरता व संघर्ष की स्थिति पैदा करने में राज्य सरकारों में प्रतिबद्धता की कमी, स्थानान्तरित क्षेत्रों के अस्पष्ट सीमांकन व विभाजन का अभाव तथा भू–राजस्व अभिलेखों में भ्रष्टाचार के कारण भूमि की ओवर लैपिंग (द्विस्वामित्व पद्धति) आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।(दैनिक जागरण, 24.03.2008)

निष्कर्ष

नदियों के तटीय प्रवाहों में परिवर्तन के फलस्वरूप कई बार गांवों के साथ उत्तर प्रदेश व बिहार की राज्य सरकारों के मध्य भूमि स्वामित्व का हस्तान्तरण हुआ है, परन्तु इसमें आदान–प्रदान किये गये अभिलेखों में भूमिखण्डों के स्वामित्व व उनके उचित सीमांकन का पूर्णतया अभाव है जिसके कारण स्वामित्व हेतु संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। साथ ही धन की लालच में भू–राजस्व अधिकारी एक ही भूमि को कभी अपक्षरित कभी नदी में निमग्न तो कभी निर्गमित दिखाकर भू–स्वामित्वों की हेरा–फेरी करते हैं। एक ही भूमि खण्ड को एक ही समय में कई लोगों के स्वामित्व में आवंटित किया गया है, जिससे भू–स्वामित्व की लड़ाई उत्पन्न हो जाती है तथा लोग आतंकित हो जाते है। बल प्रयोग द्वारा एक ही भू–खण्ड पर फसलों की जुताई, बुआई, संरक्षण व कटाई अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा की जाती है। खासतौर पर फसलों के पकने तक संघर्ष की स्थिति नहीं रहती है। परन्तु कटाई के दौरान प्रतिवर्ष खूनी संघर्ष की स्थिति आम बात हो जाती है तथा दोनों राज्यों की सरकारें समस्या की जड़ में जाकर उनका समाधान खोजने की बजाय वोट बैंक की राजनीति में व्यस्त हो जाती हैं और समस्या समस्या ही बनी रह जाती है। ऐसी स्थिति में न तो राज्य प्रशासन अपने सीमित साधनों के प्रयोग द्वारा ऐसे स्थानों का विकास करने में तत्परता दिखाता है और न ही व्यक्ति। क्योंकि यहाँ पूंजी के समाप्त होने का सदैव भय बना रहता है।

REFERENCES

बिहार एण्ड यू0पी0 एल्टेन्सन आफ बाउण्ड्रीज एक्ट, डेलीगेटेड लेजिशलेशन प्रोवीजन (अमेंडमेंट एक्ट 4 आफ 1986)

रिपोर्ट आफ दी यूनाइटेड प्रोविन्सेज जमींदारी एबालिशन कमेटी वाल्यू0 1

रिपोर्ट आन बाउण्ड्री डिस्प्यूट्स–बिहार एण्ड यू0पी0 1968

सिंह, एस0सी0 (1973) : *चेन्जेज इन दी कोर्सेज आफ रिवर्स एण्ड देयर इफेक्ट्स आन अर्बन सेटलमेंट* इन मिडिल गंगा प्लेन, वाराणसी, एनजीएसआई,

रोवर्स डी0टी0 आईसीएस : *रिपोर्ट आन दी रिवीजन आफ रिकार्ड्स,* 1881.1885 ए0डी0

दैनिक जागरण, वाराणसी (कहीं दियारांचल न हो जायँ मिनी चंबल) 24.03.2008,

जीवोआई रिपोर्ट आन बाउण्ड्री डिस्प्यूट्स विटवीन यू0पी0 एण्ड विहार वाल्यू0 1 1964